# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक: रीडर/2026/3031 दिनांक – 12.03.26

**प्रार्थी**

देवाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी जाखडों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1 हीराराम 2 नानगाराम पिसरान चिमाराम जाति जाट निवासी जाखडों की ढाणी 3 प्रभूराम पुत्र दुर्गाराम निवासी अणदे का तला (जाखडों की ढाणी) 4 कुंभाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी जाखडों की ढाणी 5 निर्मला पत्नि लालाराम जाति जाट निवासी हाल राजीव नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 6 तहसीलदार बाडमेर।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत**

दिनांक– 10/3/26

राजस्व आवेदन संख्या :–984/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जाखडों की ढाणी पटवार क्षेत्र जाखडों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 954/374 रकबा 3.4965 हेक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2026/3032 – 3035 दिनांक– 12.03.26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखडों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण देवाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी जाखडों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण हीराराम पुत्र चिमाराम जाति जाट निवासी जाखडों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर